

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1529 /2021, दिनांक:सितम्बर, 09 , 2021
-:: संशोधित आदेश ::-

वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशांक-1452/21 दिनांक 17.08.2021 द्वारा माह सितम्बर-2021 का युगल पीठ कार्यक्रम निर्गत किया गया था। पीठों में न्यायिक सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति होने के कारण पूर्व पारित युगल पीठ कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है-

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य
01	02	03	04	05
1	पीठ-झांसी	पीठ-झांसी	दिनांक 20.09.21 से 24.09.21 तक	पीठ-1 झांसी पीठ-4 कानपुर न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1 इलाहाबाद	पीठ-1 व 2इलाहाबाद	दिनांक 27.09.21 से 30.09.21 तक	पीठ-1 इलाहाबाद पीठ-2 इलाहाबाद न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी	दिनांक 20.09.21 से 25.09.21 तक	पीठ-3 वाराणसी पीठ-4 वाराणसी न्यायिक विभागीय

ह0/09.09.2021

(विनय सिंह)

एच0जे0एस0

प्र0 अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1529 /2021, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बंधित सदस्य, वाणिज्य कर, अधिकरण पीठ-1 आगरा, पीठ-झांसी, पीठ-4 कानपुर, पीठ-1 लखनऊ, पीठ-1 एवं 2 इलाहाबाद, पीठ-1 कानपुर, पीठ-3 एवं 4 वाराणसी।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

(तरुण कुमार)

निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।